छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 107/2006</u>

श्री किर्ती कुमार अग्रवाल,
उपायुक्त (सू0प्रौ)
वाणिज्यिक कर, कार्यालय आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, विक्रय कर भवन,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 24 नवम्बर 2006)

श्री किर्ती कुमार अग्रवाल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को शिकायत की गई कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को आवेदन पत्र देकर 29–12–2005 से यह जानकारी चाही थी कि आवेदक की राज्य शासन द्वारा P.O.C.S. कार के इंश्योरेन्स के वार्षिक प्रिमियम के भुगतान की कार्यवाही क्यों रोकी गई तथा इसे रोकने हेतु लिये गये निर्णय से संबंधित नोटशीट का एवं आदेश की छायाप्रति प्रदान की जाये। सहायक जन सूचना अधिकारी, वाणिज्यिक कर के द्वारा आवेदक को वित्त तथा लेखा कक्ष की जानकारी पत्र दिनांक 04–02–2006 से भेजी गई। लेखा कक्ष यह जवाब दिया था कि श्री अग्रवाल की सेवाएं शासन के आदेश दिनांक 31–01–2005 के द्वारा उनके मूल विभाग को वापस की गई है। श्री अग्रवाल ने स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त किया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः स्व वाहन सुविधा योजना का बीमा क्षतिपूर्ति के संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। यह भी सूचित किया गया कि उक्त संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अतः ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिसकी छायाप्रति दी जावे। शिकायतकर्ता के द्वारा अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु अपीलीय अधिकारी ने इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। सहायक जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 19–04–2006 से सह संचालक वित्त, वाणिज्यिक कर से मांगी गई वांछित जानकारी तथा नोटशीट की प्रति मांगी। किन्तु संयुक्त संचालक वित्त के द्वाराा नोटशीट की छायाप्रति नहीं दी गई। सहायक जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 31–08–2006 को भी स्मरण–पत्र भेजा गया, किन्तु संयुक्त संचालक वित्त के द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

2/ शिकायत प्राप्त होने पर आयोग के द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर से कंडिकावार प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र दिनांक 30–03–2006 के द्वारा मांगा गया, किन्तु 14 दिन व्यतीत होने के पश्चात् भी आयोग को प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आयोग के द्वारा शिकायतकर्ता एवं जन सूचना अधिकारी को नोटशीट भेजा गया। दिनांक 06–09–2006 को जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि संयुक्त संचालक वित्त, वाणिज्यिक कर विभाग श्रीमती तृप्ती शर्मा से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता को जानकारी नहीं दी जा सकी है। आयोग के द्वारा सह संचालक वित्त को निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण 10,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 18–01–2006 को शिकायतकर्ता जन सूचना अधिकारी, वाणिज्यिक कर एवं श्रीमती तृप्ती शर्मा, संयुक्त संचालक वित्त उपस्थित हुई। श्रीमती शर्मा ने कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया। शिकायतकर्ता एवं जन सूचना अधिकारी तथा संयुक्त संचालक वित्त के तर्कों को सुना गया।

3/ शिकायतकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि संयुक्त संचालक वित्त के द्वारा जानबूझकर द्वेषवश मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि संयुक्त संचालक वित्त व्यक्तिगत रूप से उनसे द्वेष रखती हैं, जिसके कारणा जानकारी नहीं दी जा रही है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया कि संयुक्त संचालक वित्त से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक को जानकारी नहीं दी गई। श्रीमती तृप्ती शर्मा ने बताया कि मांगी गई जानकारी सूचना की परिधी में नहीं आता। प्रथम अपील में कोई आदेश नहीं हुआ तो स्व वाहन सुविधा योजना के संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया था।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा उसे स्व वाहन सुविधा योजना के अंतर्गत देय गाड़ी के इन्श्योरेन्स की राशि का भुगतान रोकने के संबंध में जारी आदेश की एवं लिये गये निर्णय की छायाप्रति लेने का अधिकार है, जो कि उसे निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमती तृप्ती शर्मा के द्वारा बताया गया कि उन्होंने जन सूचना अधिकारी के द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में निर्धारित अवधि में उत्तर दिया है। उन्होंने जो उत्तर दिया उसकी छायाप्रति भी प्रस्तुत की। किन्तु उन छायाप्रतियों से स्पष्ट है कि संयुक्त संचालक वित्त के द्वारा वांछित जानकारी नहीं दी गई तथा नोटशीट की छायाप्रति दिया जाना उचित न मानकर नहीं दी गई, क्योंकि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ था। आवेदक के द्वारा वित्त तथा योजना एवं वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र दिनांक 01–02–20006 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदक को सूचित किया गया है कि वांछित जानकारी कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़ से उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दिनांक तक शासन को कोई प्रस्ताव वाणिज्यिक कर विभाग ने नहीं भेजा था।

5/ प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को स्व–वाहन सुविधा योजना के अंतर्गत उसके वाहन के इंश्योरेंस की राशि रोके जाने के संबंध में लिये गये निर्णय की नोटशीट की प्रति नहीं दी गई। संयुक्त संचालक वित्त का यह कथन कि इस संबंध में

कोई दस्तावेज नहीं है, मान्य नहीं किया जा सकता। यदि प्रिमियम की राशि रोके जाने का कोई निर्णय किसी स्तर पर नहीं लिया गया तो राशि क्यों नहीं प्रदान की गई, यह स्पष्ट नहीं है। यदि राशि रोकी गई तो किसी न किसी स्तर पर इसके रोकने के आदेश या शासन से मार्गदर्शन लिये जाने के निर्देश हुए होंगे, जिसकी छायाप्रति शिकायतकर्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी जाना चाहिए।

6/ प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक श्री किर्ती कुमार अग्रवाल के आवेदन पत्र दिनांक 29–12–2005 की जानकारी उसे निर्धारित अवधि में नहीं दी गई तथा स्पष्ट रूप से उसे संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि नहीं दिये जाने का कारण अधिनियम के अंतर्गत सूचित नहीं किया गया। आयोग के द्वारा पूर्व में अनेक प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ''नोटशीट'' अभिलेख की परिभाषा के अंतर्गत है तथा मांगे जाने पर सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत उसकी प्रति दिया जाना चाहिए। जन सूचना अधिकारी के द्वारा संयुक्त संचालक वित्त से नोटशीट की छायाप्रति तथा वांछित जानकारी मांगी गई, किन्तु संयुक्त संचालक वित्त श्रीमती तृप्ती शर्मा के द्वारा जानकारी नहीं दी गई।

7/ श्रीमती तृप्ती शर्मा के द्वारा बतलाया गया कि प्रकरण में शासन से मार्गदर्शन चाहा गया था। वित्त तथा योजना विभाग (वाणिज्यिक कर विभाग) के द्वारा पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2006 के द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर को सूचित किया गया कि स्ववाहन सुविधा योजना शासन के मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ शासकीय अधिकारियों के लिए थी, चूंकि श्री किर्ती कुमार अग्रवाल, मध्यप्रदेश राज्य की संस्था म.प्र. तिलहन संघ से छत्तीसगढ़ में आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं अतः यह योजना उनके लिए प्रभावशील नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि योजना के संबंध में योजना श्री अग्रवाल पर प्रभावशील है या नहीं, इस संबंध में भ्रांति थी, इस कारण जानकारी दिए जाने में विलंब हुआ। शासन से संबंधित पत्र प्राप्त होने पर शासन के द्वारा भी आवेदक श्री किर्ती कुमार अग्रवाल को सीधे ही सूचित किया गया है। जन सूचना अधिकारी अथवा श्रीमती तृप्ति शर्मा के द्वारा जानबुझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिए जाने का प्रमाण नहीं है, अतः श्रीमती तृप्ति शर्मा के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 (2) के अंतर्गत 10,000/– रूपए अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

8/ चूंकि आवेदक को वांछित जानकारी की नोटशीट की प्रति नहीं दी गई है तथा जिस आदेश से उनका भुगतान रोका गया, इसके संबंध में नोटशीट की प्रमाणित छायाप्रति निःशुल्क आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आवेदक को दी जावे।

9/ उपरोक्त निर्देश के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

हस्ता0/– 24–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त